न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 73/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/172

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मूलाराम पुत्र दुलाराम जाति जाट 2. हणमानराम पुत्र दुलाराम जाति जाट 3. कुन्दनराम पुत्र दुलाराम जाति जाट 4. उगमादेवी पत्नि नारायणराम जाति जाट निवासी हनुमानजी की ढाणी मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।		1. तहसीलदार मकराना। 2. हल्का पटवारी मकराना।

उपस्थितः–
1. श्री सिकन्दर खान वकील अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 अपील प्रकरण संख्या 03/2022 उनवान सरकार बनाम मूलाराम वगै. में दिनांक 25.01.2023 को तहसीलदार मकराना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध।

–:निर्णयः–

दिनांकः 11.06.2024

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. हल्का पटवारी मकराना व आर.आई. मकराना ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार मकराना के समक्ष पेश की एवं मौजा मकराना के खसरा संख्या 398 किस्म गै. मु. रास्ता रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण करना बताया गया।
2. माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी उगमादेवी पत्नि नारायणराम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने व हास्पिटल में भर्ती होने के कारण अपीलार्थी माननीय अधीस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण का जवाब बन्द कर मनमाने तरीके से राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के कारण उक्त आलौच्य आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधारों पर आदेश दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर है। जिसके प्रमुख आधार निम्न है:–

1. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त निर्णय व आदेश पारित करने से पूर्व मौके की स्थिति की और कोई ध्यान नहीं दिया मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया जो निरस्त होने योग्य है।
2. उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना जवाब व साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया और उक्त आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने से निररत होने योग्य है।
3. माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया रास्ता आगे किस खातेदार के खेत या गांव में जाता है का हवाला अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं दिया है एवं उक्त रास्ता अपीलार्थीगण के अलावा और कोई व्यक्ति के उपयोग उपभोग में नहीं आता है एवं मौके पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 02 ने राजनैतिक द्वेषता वश गलत मौका रिपोर्ट पेश की है जिसकी सत्यता की जाँच करने के लिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की एवं ना ही अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलौच्य आदेश निरस्त/अपास्त होने योग्य है।
4. माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की जानकारी अपीलार्थी को हल्का पटवारी व तहसीलदार मकराना द्वारा मौके पर आकर बिना बेदखल करने की कार्य शुरू करने पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय की जानकारी दिनांक 24.02.2023 को हुई तब अपीलार्थी ने उक्त प्रकरण की समस्त नकले अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 24.02.2023 को प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपी[illegible] अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाकर चुनौ[illegible]2023 को पूर्णतयाः अपास्त करने की कृपा करें।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

बहस के तर्कों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 01 वर्ष तक 13 अवसर सुनवाई हेतु प्रदान किये गये थे। अपीलांट द्वारा खसरा नं0 398 किस्म गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता को स्वयं की उपयोग उपभोग में ही काम में लिये जाने के तथ्य का अंकन किया तथा इस आधार पर अपील खारीज करने का तर्क दिया। अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लिया जा रहा है। रास्ते की भूमि को सार्वजनिक उपयोग में काम लिया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आराजी नं0 398 गै0मु0 रास्ता की भूमि है। अपीलान्ट उस पर अवैध अतिक्रमी के रूप में काबिज है। गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण की स्वीकृति/अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण बाबत बेदखली के आदेश दिये गये जो विधिसम्मत है। जिस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण नहीं है। अतः अपील अलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.06.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

11/6/24

(बाल मुकन्द असावा, IAS)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:36 IST
Reason: SelfAttested